SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: We will give rice in addition to wheat. So when the population cannot take wheat and is on rice, that sensitivity of the population will be taken care of. To say that only it should be done, it is not clear for me to give that hope.

About the point made about Maharashtra about jowar and makka. I am aware that in many areas people prefer that. In some areas of Rajasthan also and some areas of Madhya Pradesh too. But this is confined to wheat and at some places alongwith rice.

Now whether we will continue it or not, and not only when there is plenty. We are planning for plenty; not scarcity. We hope that alongwith plenty, we will continue it.

About reaching of mobile shops etc. in other places, the point was made. Of course, that is a question of distribution and strengthening the public distribution system. We will be making our best efforts in consultation with the State agencies. About the point made that where States are the agency of implementation, what is the check on beneficiaries. All those points have been made. Well, for those which are under the various schemes of RLEGP, NREP etc. the norms are there. And also for nutrition programme for women and children, the norms are there. So, already there are the existing norms to guide the programme. Certainly, apart from State agencies, other agencies can be contemplated like the NCC and others to be pressed into action for distribution purposes in very remote areas where there is insufficient infrastructure.

I think, I cannot agree about pulses also. The idea, I do not reject. But we do not have the possibility at the moment because, you know, we are short of pulses.

The point was made that black-marketing will occur and whether it will be only for the rural areas or the urban areas and what amount can be picked from the ration shops. It is applicable to the whole of India, including the urban area also. There are labourers working in the rural areas. They will be beneficiaries of the scheme.

About black-marketing, I think black-marketing is not a problem; and wheat marketing is the problem.

About how much will be given, it is open. The quantum is not there, so far as the ration card holders are concerned.

I thank again the hon. Members for their comments.

INTRODUCTION OF MINISTER

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE): Leader of the House will introduce the hon. Minister.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): Madam, I have the pleasure to introduce to you and, through you, to the House Shri B. R. Bhagat, Minister of External Affairs.

THE BONDED LABOUR SYSTEM (ABOLITION) AMENDMENT BILL, 1984—(contd.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE): Now we resume our discussion on the Bonded Labour System (Abolition) Amendment Bill. Shrimati Usha Malhotra.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: Madam Vice-Chairman, first of all, I would like to congratulate our hon.

[Shrimati Usha Malhotra]

Finance Minister, Shri Vishwanath Pratap Singhji for his statement on policy he has just announced in favour of the weaker sections to ameliorate their sufferings and also bringing in this vital scheme that would improve the lot of those working sections about which we have been debating upon.

I would also like to refer to the Government's decision and the measures that he is going to take through this statement of policy which the Government has put forth. I am very happy to read and also to know that special reference has been made to the nutrition programme for young children, pregnant women and nursing mothers. This was actually called for. This is the last year of the International Women s Decade, and I am very happy that the Government with Shri Rajiv Gandhi, our dynamic Prime Minister heading it, has brought in such a programme towards the end of the Women's Decade. Although we have a number of programmes for their benefit, to emphasise it and to focus the attention of the country at this time, I think, is remarkable, and we congratulate him. This would also take into its ambit various States, backward areas, tribal areas and all that we have been aiming at in this debate earlier.

I would only like to point out that the distribution system which has been pointed out by our Finance Minister needs gearing up. For such a heavy programme, I think, we have to raise the infrastructure to a standard where we are able to deliver the goods because we do not want all this to be enshrined in the statute books or any statement or policy statements but to be carried to the people at large.

I would also like to refer to him that there has to be a coordinated effort of different Ministries, the respective Ministries which are going to take it up, in fields like the distribution which comes under the Food and Supplies Ministry or other programmes which are to be taken up through this statement. Monitoring is as important as the implementation. I would request the Honourable Minister to kindly keep that at the back of his mind.

Coming back to the debate, I said that the Planning Commission had recommended a detailed survey of the bonded labour by all the State Governments so as to find out and identify the bonded labour from different categories like attached labour, contract labour and the inter-State migrant labour including both men and women. We have to consider that there is no confusion in the minds of the functionaries and as such we have to clarify this. And this is precisely what we are doing through this amendment which has been brought forward to overcome certain difficulties and confusion.

It is proposed to amend clause g of section 2 of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976. Clarification was called for both categories, i.e., inter-State migrant labour and contract labourers who work like bonded labourers will now be deemed to be working under the bonded labour system. This amendment seeks to remove the lacuna. This Act would be able to cover certain disabilities which the Act suffers from at the moment. In dealing with the bonded labour problem which in our country is troubling many a mind—whether it is the Opposition or the ruling party—their concern has been equal. There is no doubt about it. But we must also give due credit to the leaders who have spelt out certain programmes to ameliorate their sufferings; and to focus the attention of the entire machinery as to how to bring them out of the clutches of those creditors who try to exploit the situation. As they being the debtors i.e., the bonded labour are exploited to a great extent. This situation is quite deplorable. They live in inhuman conditions. It is a miserable plight for those who know what bondage has been.

I would also like to draw the attention of this august House to the fact that our Honourable Prime Minister has undertaken tour of the backward areas. He has gone to the remotest tribal areas to study for himself and to get a first-hand knowledge of their problems in those regions. I think this has brought home to him so many facts which he has been able to spell out in the policy which is being adopted by the Government. I think we all should give due credit to this aspect of the Government which is trying to implement and bring about dynamic changes in the interest of the weaker sections. Well we have a record continuities in India of the policies announced against the record of discontinuity in the entire world.

I would also like to draw the attention of our Minister to the fact that it is women who suffer badly under the bondage system. It has been pointed out by my colleagues whether they take up certain duties or they are forced into certain sort of service it is deplorable. I would request the Honourable Minister to lay more emphasis on the plight of women and to see that the States are able to identify, release and to rehabilitate women. At the same time, they should be able to report back to the Centre of the progress they have achieved. There has to be a monitoring cell of what has to be achieved. Otherwise, whatever we talk of it, it goes down in the pages of our Statute Book. But I feel that implementation through the States is very, very vital.

Now this clarification of the migrant and the contract labourers who work like bonded labourers will be deemed to be working under the bonded labour system. This amendment seeks to remove the lacuna. With this, I would support this amendment emphatically and also would like to congratulate the Government for bringing in the extra teeth which this Act needed for different definitions we already had for Bonded Labour, for Bonded Labour System but these definitions have proved to be inadequate and hence this clarification through an amendment was sought and I support this emphatically. Thank you.

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA (Haryana): Madam Vice-Chairman, throughout the last so many centuries, the majority of the people of this country have lived in appalling conditions, conditions which are not comparable to most parts of the world. People have lived and barley have the resources to subsist. They have suffered in health, they have starved, they do not have roof over their heads with the result that these people will power to fight against oppression has been sufficiently curbed. They have not been in a position to assert themselves in spite of the fact that now it is more than 38 years since we attained independence yet this idea of freedom has not percolated to all the levels of our society with the net result, people still think that they are morally bound to subscribe to the conditions under which they were forced or lured into service. This is the general impression. Generally, people living in this country are honest, religious. They do not want to cheat anybody and therefore they think that even in the moments of their weakness, when they were lured for signing agreements for service, employed in service, howsoever wrong those conditions may be, howsoever illegal those conditions may be, howsoever they may be, yet they feel that they are obliged to abide by them. This created a system of bonded labour. Otherwise, according to the law, no person can ever be bound to forcibly do or perform the work of another person against his will. There is no law which can do it. But he feels morally bound to do it and this aspect of the matter has to be attended to. There is no use having a statute on the book which is not properly implemented. Just to quote an instance, we have had a Child Marriage Restraint Act in this country for so many years—more than half a cen-

[Shri Sushil Chand Mohunta]

tury and in spite of that, we still find children marriages being performed. Why? Because the idea that child marriages are wrong, they should be stopped, this could not be percolated to all the levels and everybody thought that marrying of the daughter at a young age of 11 years, 12 years or 14 years age was a pious religious act and they are morally bound to do it. This is how bonded labour has come to stay in this country. No matter how many definitions we may have, the tenor of the Acts coming into force, the Bills, being brought, they won't serve the purpose. You will be surprised, under our nose near Faridabad, it is a part of Delhi now, it is in the Capital periphery region, in places like Faridabad, Ballabhgarh. Gurgaon, there are so many places which are hardly 30 to 40 kms. away from Delhi within this area, there are people working under appalling conditions on quarries as contract labour and we sitting in Delhi over here have not been able to help them. This is the position. Therefore, I would suggest that this by itself is not sufficient. You must have detecting agencies. First of all, if you really want to render good to the people, you must have employment agencies in sensitive areas. For instance, we have brick kilns, we have quarries and we have agricultural labour. There are so many other places where we have contract labour normally in vogue. And the labour are lured into it because in weak moments they have no power of resistance or they are given slight allurements. Probably in order to make themselves subsist or to provide a bare minimum or hardly a bare minimum for their children or their womenfolk, they are lured into signing contract agreements and they feel that they are bound down to it. that they are stuck with it and cannont leave it. Therefore, these areas must be identified and after identification of these areas, regular checks must be made regarding all these thigs. There must be regular teams, agencies which must implement this measure because this is the greatest crime on earth—having bonded labour in a free independent country, having people who still subscribe to the idea that because they have signed a particular agreement, they are bound down by it. I can understand one who signs probably not a justiciable agreement. It can create a financial liability for them, but certainly cannot create a liability for them wherein they are made to work forcibly. This must be made absolutely clear. I welcome this definition. It is in the right direction. but it is not sufficient. If you really want to get rid of this malady and make everybody hold his head high, you must try to take the help of social organisations who have the necessary information. The police in every police station must be made responsible. Suppose in the area of a particular police station, there are two or three or four laces or quarries where labour is made to work forcibly, and the police have taken no action but other people have found it out, then the person in charge of that police staton must be booked. You must have some such thing so that everybody is active in this affair. Therefore, I support this amendment, but at the same time. I would warn the Government that this is not sufficient. Don't be complacent over it. Gear up, be brave enough and see that the people who are in charge of the law and order situation in every district, tehsil or police station are made equally responsible if such a thing exists anywhere and it comes to your knowledge through any source other than these people. Thank you.

SHRI DINKARRAO GOVINDRAO PATIL (Maharashtra): Madam Vice-Chairperson, I rise to support the Bonded Labour System (Abolition) Amendment Bill. 1984. Before starting my speech, I must say on the floor of the House that crores of poor people from all corners of India have paid their homage on the first "punya smruti" day on the last day of last

month and today also they are celebrating the birth anniversary of their beloved late leader, Shrimati Indira Gandhi, who took the revolutionary step of bringing the Bonded Labour System (Abolition) Act under the 20-point programme to make the poor down-trodden people free from slavery. But here, Madam, I want to point out to the hon. Minister that vested interests people are putting obstacles in the way of implementation of this Act in alliance with the Government machinery. Madam, the bonded labour section is at the bottom of the society. These poor people are illiterate, uneducated, and steeped in poverty. They know nothing but to tolerate the atrocities committed on them and bear the injustice done to them by big landlords and vested interests. They have no shelter except the sky to cover and land to sleep. They are a scattered and pitiable lot. Anybody can come and use them as slaves. The conditions of the bonded labour in India are at their worst. These bonded labourers eat food if their masters serve them; they wear clothes if their masters please to give them their torn and discarded clothes. The woman section of the bonded labour has no choice but to submit to the wishes of the landlords at the cost of their self-respect and honour. The woman cannot go and make a complaint to the police against the landlords who commit a rape on her because there is no alternative to that woman but to succumb to the lust of her master on whose mercy she gets food and work. This is the fate of the bonded labour in India. Therefore, Government machinery must be made very effective to prevent these injustices against the bonded labour. I give you the example of bonded child labour, what the tragedy is with such small, young boys, how they are leading their life in India. According to a World Bank report a third of Asia's share of 40 million working children as bonded labour out of a world total of 55 million belong to India. Smugglers kidnap small, poor, children and cut their heads and export them to foreign countries. Article 24 of the Constitution states that no child below the age of 14 years shall be employed to work as a bonded labour either in a factory or in a mine or anywhere. Besides this there are thirteen Central and State legislations for freeing the poor, downtrodden people from slavery. But I find the provisions of the various Acts are not being implemented properly. Therefore, I would request the honourable Minister to look into this serious problem personally.

With these words. I support this Amendment Bill.

The Vice-Chairman [Dr. (Shrimati) Sarojini Mahishi in the Chair

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मौजूदा जो बिल हमारे सामने है बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) संशोधन विधेयक, 1984, जो कि इस बिल के जरियों से इस अमेंडमेंट के जरिये से कुछ हद तक बन्धित श्रम पद्धति या जो बंधुआ मजदूर है इस मसले का हल होगा लेकिन इस समस्या का हल पूरे तरीके से इस संशोधन के जरिये से नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि यह समस्या न सिर्फ कुछ इलाकों में बल्कि पूरे देश में सभी राज्यों में किसी न किसी तरीके से प्रचलित है। हाल ही में जहां गया था फरीदाबाद में यहां से 20 मील के फासले पर स्टोन क्वरी में काम करने वाले जो मजदूर हैं वे बंधुआ मजदूर हैं। मुख्तलिफ राज्यों से वे यहां आते हैं और काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। उनको 75 रुपये प्रतिदिन उनके काम के हिसाब से पड़ता है जो कि अदा करना चाहिए लेकिन वह सब काटकर उनको सिर्फ 23 रुपया दिया जाता था। यह मामला श्रम मंत्री जी की नालेज में उनके इल्म में लाया गया है उनको एक मेमोरेंडम दिया गया है। ये भी मजदूरों के नेता रह चुके हैं, ये उन मसलों को

[श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

अच्छी तरह से जानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ये जो कंट्रैक्टर्स है जो इन बंधुआ मजदूरों को अपने कब्जे में रखकर काम लेते हैं। वह भी उसका अमल नहीं करते। यह परिस्थिति सारे देश में है। यह जो देश की हाइएस्ट अदालत है, इसके आर्डर का भी वह पालन नहीं करते। तो मैं नहीं समझता कि यह कानून जो आज बन रहा है, जो स्पष्टीकरण दिया गया है धारा 2 में, इससे यह मसला हल होगा, यह मैं नहीं समझता। कुछ हद तक हम इसको इस्तेमाल करने में सफल हो सकेंगे, वह अलग बात है।

आज देश को आजाद हुए 38 साल हो चुके हैं। मेरे साथी श्री सूरज प्रसाद जी ने कहा था कि अभी इस देश के अंदर 5 करोड़ 50 लाख बंधुआ मजदूर हैं। यहां पर श्रीमती उषा मल्होत्रा जी ने कहा था कि एक लाख कुछ हजार बंधुआ मजदूर हैं और उनमें से एक लाख के करीब ...

श्रीमती उषा मल्होत्रा : जो आइडेंटिफाई किये गये हैं।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : तो उनकी यह फिगर है, मैं नहीं जानता, पर श्रम मंत्री बता दें कि देश के अंदर अभी भी कितने बंधुआ मजदूर है और कितने लोगों को...

SHRIMATI USHA MALHOTRA: Madam, on a point of clarification.

श्री बी० सत्यानारायन रेड्डी : मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं।

SHRIMATI USHA MALHOTRA: Actually, the number that was mentioned relates to detection or identification of the bonded labour. What I actually meant to say was that only so many had been detected and far more remained to be detected and to make this Act more effective this amendment is being brought forward, to cover even the Inter-State migrant workmen and the contract labourers who do not fall within the ambit of the original Act. So, I said that there would be many more and the number would swell.

THE VICE-CHAIRMAN (DR.) SHRIMATI SAROJINI MAHISHI): I think this much of clarification is enough.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : मैं कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं। स्पष्टीकरण किया ठीक है। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अभी कितने बंधुआ मजदूर हैं, कितने डिटैक्ट किये गये, कितने डिटैक्ट करने हैं और कितने मुक्त किये गये हैं? यह बात मंत्री महोदय बता सकते हैं। यह मैं उनसे जानना चाहूंगा।

देश को आजाद हुए 38 साल हो गये, पर हम इतने सालों के बाद भी इस समस्या को हल नहीं कर सके।

यह जो स्पष्टीकरण जोड़ कर आप इस मसले को हल करना चाहते हैं, मैं नहीं समझता कि यह इस तरीके से हल होगा। मैं यह चाहूंगा कि कानून बनते हैं, हम बनाते हैं, मगर उसको किस तरीके से आप इम्पलीमेंट करेंगे, कैसे डिटैक्ट करेंगे, कैसे आप अप्रोच करेंगे, यह इस पर ज्यादा निर्भर है। जहां-जहां हम लोग गये है, जहां बंधुआ मजदूर है, और उनकी परिस्थिति बहुत खराब है उन इलाकों के हालात इतने खराब हैं कि यहां तक उनको रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है, वह तो आसमान के नीचे सोते हैं, खाली जमीन पर सोते हैं, उनका दवा का कोई इंतजाम नहीं है। **(समय की घंटी)** उनके बच्चों के लिए तालीम और दवा का कोई इंतजाम नहीं है।

तो मैं यह चाहूंगा कि बंधुआ मजदूर क्यों रहें? इस मसले को बुनियादी तौर पर हल करने के बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है? मैं समझता हूं कि सब से बड़ा कारण यही है—बेरोजगारी,

गरीबी और खास करके यह जो ड्राउट, फ्लड्स और सूखा जिसकी वजह से लोग परेशान होकर अपने इलाके से निकल जाते हैं। राजस्थान, यू० पी०, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और उड़ीसा यह तमाम इलाके हैं जहां ड्राउट, फ्लड्स आते हैं। तो इससे लोग परेशान हो जाते हैं और हजारों की तादाद में बच्चे, औरतें, वह सब लोग कहीं किसी के पास जाकर पैसे लेकर बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।

मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इन समस्याओं के बारे में सोचें ताकि जो बुनियादी मसला है, जिसके जरिए से लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया जाता है, उनकी गरीबी का फायदा उठा कर, उनकी मुसीबतों का फायदा उठा कर उनका इस्तेमाल किया जाता है, उसको किसी तरीके से रोक दिया जाए। (**समय की घंटी**)।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, जो अमेंडमेंट स्पष्टीकरण आपने जोड़ा है, उसका स्पष्टीकरण दिया है कुछ हद तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। पर यह पूरे तरीके से मसले का हल न होगा।

मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि जो इसकी बुनियादी वजह है, इसको दूर करने के बारे में सरकार पूरी तरह से सोचे।

SHRI AKSHAY PANDA (Orissa): Madam Vice-Chairman, I would first express my thanks to you for giving me an opportunity to speak on the subject, and I congratulate the Government for bringing forward this amending Bill.

Madam, this country practically remained for one thousand years as the bonded labour of different rulers, foreign rulers. And now our Opposition, friends are telling that we have been independent for 38 years but nothing has been done. I am very sorry. Many things have been done.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: What I said was that still this system exists.

SHRI AKSHAY PANDA: The system exists and we are trying to abolish all these systems and to bring a new norm of life, new form of life to these poor people, those who are down-trodden not only by this Bill but since the days of Mahatma Gandhi, Jawaharlar Nehru and our beloved Prime Minister Shrimati Indira Gandhi, who had brought the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976. But to our ill fate, due to false propaganda, the Congress went out of power in 1977. From 1977 to 1980 the rulers of this country forget everything, except one thing how they will accumulate their property, starting from wheat to gold. The whole nation knows this. Because of this again in 1980 Madam Indira Gandhi came back to power. And today this Amendment is necessary because though the Bonded Labour System (Abolition) Act was provided in 1976 and though the Government specified who are the bonded labourers, still we feel that the labour class is neglected, who have migrated from different States for the labour work. I personally come from Orissa, from where lakhs of labourers are working in Calcutta, in Punjab, in Haryana and Delhi, and there how they come, I know. They come under the labour contractors, and they are very poorly paid and the contractors and the middlemen take the main share of the money which is being given to the poor people. Madam, for this cause only this amendment has come. The expressions "contract labour" and "inter-State migrant workman" have been defined in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, and clause (e) of sub-section (1) of section 2 of the Inter-State Migrant Workman (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979, respectively, (*Time Bell rings*)

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: You can conclude in two minutes.

SHRI AKSHAY PANDA: It is found that though it has been included, it is not properly interpreted, and for this reason, to give protection to this contract labour and inter-State migrant workmen this amending Bill has been brought. This Bill should be properly implemented. And my request is that the hon. Labour Minister should ensure that his department is more vigilant. In each district, starting from the urban areas to the village areas, wherever these workers are working, there should the properly vigilant Government servants to see how these labour contractors are dealing with the labourers and whether the labourers are being paid properly or not. I also share the view of the other hon. Members that the implementation is badly needed and our Government should be vigilant about the proper implementation of this Act. With these words, I heartily thank the hon. Minister for bringing forward this Bill. I also thank you for giving me this opportunity.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Mr. Dhabe. I request only five minutes.

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): I welcome this measure brought forword by the hon. Minister extending the scope of the Bonded Labour Act. The performance of the Ministry in this matter has not been very good. The bonded labour system was abolished by an Act of 1976. The State Governments are primarily responsible for the enforcement of the Act. Now, this will put additional responsibility on them.

The incidence of bonded labour has been reported from 11 States, i.e.. Andhra Pradesh. Bihar. Gujarat Karnataka Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. Now the rules state that there will be a statutory vigilance committee. The Supreme Court has also directed the Government to see that statutory vigilance committees are appointed in every State, when we discussed the matter last time, the performance of the Ministry was very poor. I would like to know from the Minister whether vigilance committees have been appointed in any of the 11 States which have been identified.

The most important aspect is about rehabilitation The Vigilance Commit- [illegible] many [illegible] mented and whether they have been able to free the bonded labour. The report of the Ministry dated 31st December, 1984 says that 1.77,814 [illegible]ed and the rehabilitation wa[illegible]ed to only 1.31.407. That means that about 42.000 were not reh[illegible]ed in the year 1984-85. Wha[illegible] to point out is that a lesser number of bonded labour has been rehabilitated than what has been freed. The targets are less. These targets ha[illegible] not been fulfilled. In the ye[illegible] out of 28.804, only 17,143 w[illegible] rehabilitated. In the year 1984-85, after the direction of the Supreme Court in the matter the revised target was 31.326 and against this only 14,604 bonded labour were rehab[illegible] I will like to know the rea[illegible] he Ministry's report says that the performance is 46.6 per cent. Therefore, like the Minimum Wages Act, this should not be allowed to be merely on paper. Madam, the wages in the ruler areas were fixed in 1954. Even after thirty years, they are not being implemented in any part of the country fully. There were two things which were said by the Supreme Court. Firstly. the statutory vigilance committees should be constituted in each district and secondly, the target as fixed by the Central Government should be fulfilled. May I know from the hon. Minister whether under

the centrally sponsored scheme the Rs. 4,000 assistance per bonded labourer given to the States, the various State Governments the eleven States. which are given the financial assistance have fully utilised the assistance given for rehabilitation purposes or whether the amounts ...nds are meant ... cause and ...with which ...t see to it ...ed by the ...r the rehabili...'d like to know ...oposal to ra... the Bill. But ...d Bill It m...

...hat ste... been taken for the rehabilitation grants being utilised and also having statutory vigilance committees in every district of eleven States.

SHRI DEBA PRASAD RAY (West Bengal): Madam hon. Chairperson, I rise to support the Bill as introduced by the hon. Labour Minister. The Bonded Labour System (Abolition) Amendment Bill, 1984. which has been tabled by the hon. Labour Minister today is a welcome measure.

Madam, please... shout because I ...

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: I shall do that. You please continue your speech.

SHRI DEBA PRASAD RAY: With the introduction of this Bill . . .

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI [SAROJINI MAHISHI]: No interruptions please. The hon. Member is being disturbed. Please continue.

SHRI DEBA PRASAD RAY: With the introduction of this Bill a major loophole which was persisting in the original Bill has been rectified and I would like to refer to the debate that took place in May, 1984 on the floor of the Lok Sabha when the then Labour Minister, Mr. Veerendra Patil, while replying to the Calling Attention said that the inter-State migrant could not be taken care of ...se that does not form a part of ...ll. With the introduction of this ...his problem would be tackled ...ively. I hope. And, if we look at ...magnitude of the problem, it is ... problem of those who ...ught from ...

... as we all know, in my place in Bengal, a large number of people ...om Orissa to work for ...ments by the contrac... are ill-paid and they ... allowed to go back when they desire to do so. If we look to the brick-... workers area in our State, they ... people who are being ... Bihar a... minim...

they are not allowed to go to their respective ... to their swee... quarries in north India the people are mostly brought from one State or another and they are being exploited and it was a perpetual phenomena until this Bill w... House. With the introduction of this Bill I hope these areas will be properly taken care of. The picture that is being given by the Government in this regard is also not discouraging because so far the Government has been able to identify one lakh ninety thousand bonded labourers, out of which one lakh forty-six thousand labourers have been rehabilitated so far and the total quantum of money spent by the Central Government in this regard comes to Rs. 16.50 crores. So, this performance cannot be called a poor performance. But what I would like to impress upon the hon. Minister is the fact that there has to be vigilance on the part of the Central Government, they have to see that the State Governments are performing properly

[Shri Deba Prasad Ray]

since the responsibility falls on the shoulders of the State Governments as well as the Central Government, at least in the matter of giving financial support to the bonded labourers because they are supposed to get Rs. 4,000 per head out of which 50 per cent is spent by the Central Government and 50 per cent comes from the State Government. I would like to request the hon. Minister to feel concerned about the new phenomena that had been witnessed in the country in the recent days. In U.P., as for example, while participating in a debate on this issue in the Lok Sabha in May, 1984, the hon. Labour Minister said that in U.P. 27 vigilance committees have been formed. The statement was made in May, 1984 but in February, 1985 from Etwah district, from Jaswan village, 180 persons were exploited by the local people as bonded labourers and one of them went to the Supreme Court and prayed for protection and ultimately under the direction of the Supreme Court they were being liberated. So, although the declaration is being made by the concerned State Governments that vigilance committees are being formed, there is every doubt for us to question the performance of the vigilance committees effectively. I do not know what information the hon. Minister has from Bihar, how many vigilance committees have been formed there and what is the performance of those committees in the State of Bihar. I would like to tell you that although they are being freed, they are being liberated today, their rehabilitation is yet to be done properly. I would like to cite one example of Rajasthan, where 500 families were liberated from the Haryana-Delhi border who were engaged in stone quarries as bonded labourers. They were taken to Rajasthan and sheltered in relief camps in Jamian village in the Barmer district. But after starvation deaths started, people even expressed their desire to go back to the areas where they were engaged as bonded labourers. They spoke to the press people that it is better to live as bonded labour than live in those relief camps where food was a problem, medicine was a problem and they also revealed that out of Rs. 4000, they were paid to the tune of Rs. 880 only and rest of the money had been spent on other arrangements. So, there is every reason for us to feel concerned about the performance of the State Governments. These two issues are the glaring examples of non-performance of State Governments in this regard.

I would also like to impress upon the hon. Minister to take care of another aspect. About 800 blocs had been covered by the organisers who had been appointed by the Labour Ministry to work as organisers at a salary of Rs. 250 and their job is to motivate the people to fight against this social evil and their job also is to liberate the bonded labourers. I want to know from the hon. Minister as to what monitoring system he has got to ensure that these organisers function properly and they discharge their responsibility according to the expectations of the Ministry.

I would also like to know as to what happened to the recommendations made by the Central Standing Committee of which he was the Chairman whose recommendation was made in the month of March, 1985 in the matter of enhancing financial support to the victims and introduction of a time-bound programme to eradicate this problem from our society.

I would also like to impress upon the whole House that this question should not be dealt with in isolation because this is closely linked with other aspects of the 20-point programme. Although this point itself forms a part of the 20-point Programme, being point No. 6, that the beneficiaries are closely linked with points No. 3, No. 4 and No. 9 of the 20-point pro-

gramme. I would like to impress upon the hon. Minister and, through you, the Finance Minister also that if point No. 3, that is, IRDP, is properly implemented and if benefits are given and financial support is given to poor people, they will not get converted into bonded labourers; tomorrow if the poor people are given land properly and if they are rehabilitated according to point No. 4 of the 20-point programme, if land is properly distributed amongst them they will never be forced to get into the task of bonded labourer. If point No. 7 that is development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is properly harnessed, if these poor people are looked after properly in the villages, this exploitation will automatically cease to exist. But when the poor people in the villages do not get the protection, or do not get support from the IRDP, when the poor people do not get proper land, or even after they get the patta, but physical possession is not given they fall prey to this social evil and get into the bonded labour system. So, this has to be taken in totality. Appeals are being made to the Government to ensure that these points of the 20-point programme are properly implemented to ensure that this phenomenon is automatically eradicated from our social life.

I was listening to Mr. Suraj Prasad who was making a speech on this subject, and while making speech, he has suddenly discovered that Congress is under the clutches of feudals. This is what he suddenly discovered, because till 1977 he was of the opinion that Congress was a progressive party and he had no hesitation to have alliance with us. I do not know whether he is there or not but how overnight, after he lost election, he discovered that Congress was a feudal force, deserted us and joined the C.P.I.(M) in West Bengal. Being a partner of the Left Front Government in West Bengal, I would like to ask Mr. Suraj Prasad a simple question. Is it not a fact that all progressive programmes which are being implemented by the Left Front Government in the State of West Bengal had all been enacted by the Congress(I) Government when we were in power before 1977? Have they enacted a single point.

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: What are the things?

SHRI DEBA PRASAD RAY: This will require another discussion. I will talk to you afterwards. All the progressive measures like rights to sharecroppers, land distribution, minimum wages etc. were enacted by the Congress (I) Government and I am happy, they are trying to implement these measures. *(Interruptions)* What I am trying to impress upon the House is this. I do not hesitate to take the name of Swami Agnivesh who has been the crusader to fight against this social evil. While addressing a press conference, he said categorically that all the political parties and trade unions have turned out to be irresponsible as far as this problem is concerned. Therefore, it is not a question of Suraj Prasad or Deba Prasad Ray. It is not a question of Nirmal Chatterjee or Vasudeva Panicker. It is a question concerning the whole country. We should all fight against this social evil. This is a national problem and it is the responsibility of all political parties to ensure that this problem, and social evil, is eradicated from the society. I would, therefore, suggest that we should have a broader outlook. Let us try to work together to ensure that people are not exploited in the name of labourers. Our poor people are protected properly. Whether they are under the rule of Left Front in West Bengal or they are under the rule of Congress (I) in U.P., they have to be treated on the basis of equality and justice. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Mr. Matto. He is not here. Mr. Ramanand Yadav.

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : महोदया, मैं इस बिल का तहेदिल से समर्थन करता हूं और खासकर अपने श्रम मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इस बिल का स्कोप उन्होंने बढ़ा दिया है इसके अंदर कांट्रेक्ट लेबर और दूसरे माइग्रेटेड लेवर को ला दिया है। लेकिन एक बात जरूर उनसे कहूंगा कि इस बात का विचार किया जाए कि जो फारेन लेबर्स हैं, एब्राड गोइंग लेबर हैं उनको भी बांडेड लेवर बना कर रखा जाता है। इस मुद्दे को भी मैं चाहूंगा मंत्री जी इसमें इन्कलूड करने की सोचें।

महोदया, यह बांडेड लेबर सिस्टम फ्यूडिलिज्म का दिया हुआ सिस्टम है। यह सिस्टम हमारे देश में बहुत दिनों से प्रचलित है। जब यहां अंग्रेज आए थे तो उन्होंने इस सिस्टम को बरकरार रखने की कोशिश की थी। इसी बांडेड लेबर को लेकर उन्होंने गिरमिट सिस्टम के आधार पर साऊथ अफ्रीका के और दूसरे कंटरी के डेवलेपमेंट के लिए भारतवर्ष से काफी संख्या में मजदूर मंगाये और उनको गुलाम बना कर रखा। वह यह चाहते थे कि यह सिस्टम और मजबूत हो। हमारे देश में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिशनर ने आज तक 30 रिपोर्ट दी हैं उस रिपोर्ट में कहा है कि अभी इस देश में काफी मात्रा में बांडेड लेबर हैं। कांग्रेस की सरकार ने काफी रूप से बांडेड लेबर को खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन कमिशनर का कहना है कि ठीक से आइडेन्टीफिकेशन नहीं हो सका और बांडेड लेबर की डेफिनिशन भी ठीक से नहीं बना सके। यह कैसे होता है मैं यह बताना चाहता हूं। मैं गरीब आदमी हूं। एक कुलक के खेत में काम करता हूं। अपनी लड़की की शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है इसलिए मैं उससे कर्जा लेता हूं। यह कर्जा चुका नहीं पाता। मुझे बाध्य हो कर अपनी सारी सम्पत्ति उसको देनी पड़ती है। जब सम्पत्ति दे देता हूं तो उसके यहां मजबूरी के कारण काम करने लगता हूं। मेरा लड़का खटने लगता है, दूसरे लोग भी खटने लगते हैं, परिवार के लोग भी खटने लगते है। सारी जायदाद देने के बावजूद भी हम असमर्थ रहते हैं कर्जा चुकाने में। इस तरह से बांडेड लेबर दर-पुश्त-दर बढ़ते जाते है इस देश में जब तक बांडेड लेबर का स्कोप बढ़ायेंगे नहीं इस बिल में तब तक उनके लिए कुछ नहीं हो सकता।

जो खेतिहर मजदूर हैं, जो खेतों में काम करते है, कुलक लोग उनका शोषण करते हैं। चाहे धान की रोपाई का काम हो या गेहूं का काम हो या कोई दूसरा काम हो, सब कामों के लिए खेतीहर मजदूरों की जरूरत पड़ती है। अगर ये खेतीहर मजदूर लोग अपने किसी आर्गनाइजेसन

4 P.M.

माध्यम से काम करना चाहते हैं तो ये कुलक लोग भी अपने आपको आर्गेनाइज कर लेते हैं और मजदूरों के प्रयासों को विफल कर देते हैं। इसलिए

श्यकता इस बात की है कि मजदूरों को आर्गेनाइज करने के लिए पोलिटिकल पार्टीज

चाहिए। जब तक इनाहर अपने अधिकारों के पालन नहीं लाया जाएगा तब तक बोंडेड लेबर का सिस्टम खत्म नहीं हो। राष्ट्रपति महोदय ने आर्डिनेन्स आज से कर्ज खत्म हो गया. आर्डिनेन्स का पालन नहीं किया गया है। कई राज्य में बोन्डेड लेबर की प्रथा अभी भी जारी है। किसी राज्य में अगर बांडेड लेबर के शोषण के लिए कोई कार्यवाही भी होता है तो वे लोग पुलिस से मिल जाते है और छूट जाते हैं। यही कारण है कि आज भी यह शोषण हमारे देश में चल रहा है। अनेक प्रान्तों में अनेक तरह के नाम इसको दिये गये हैं। तमिलनाडु में, उड़ीसा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, सब जगह यह प्रथा प्रचलित है। गुजरात में इस प्रथा को पीथी कहते हैं। मैं चाहता हूं कि बांडेड लेबर की प्रथा को समाप्त करने के लिए शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिशनर की रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन किया जाना

चाहिए। इस संबंध में जो कानून बनाए गए हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक अलग से मशीनरी बनाई जानी चाहिए। जो इस बात को देखें कि बोन्डड लेबर की प्रथा हमारे देश से सदा के लिए समाप्त हो। इसके लिए एक इंडिपेन्डेन्ट अथोरिटी होनी चाहिए जो इन कानूनों का इम्प्लीमेन्टेशन करायें। आप जो रुपया इन कार्यों के लिए इंवेस्ट करते हैं, बिहार सरकार को देते हैं या किसी अन्य राज्य सरकार को देते हैं, उसका लाभ इन लोगों को मिलना चाहिए।

मैं इस बिल के लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसके लिए कोशिश की है। हम चाहते हैं कि बोन्डड लेबर की प्रथा हमारे देश से समाप्त होनी चाहिए। बोन्डड लेबर को मजदूरी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके सेटलमेंट के लिए लैण्ड दी जानी चाहिए। जब तक आप उनको बसाने के लिए जमीन नहीं देंगे तब तक उनकी समस्या हल नहीं हो सकती है। जब तक इस देश में प्राइवेट प्रोपर्टी का सिस्टम है, जब तक खेतीहर मजदूरों को जमीन नहीं दी जाती है, जब तक उनको दूसरे कामों में बसाया नहीं जाता है तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है। भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने लैण्ड रिफार्म के अनेक कानून बनाये हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता है। बटाईदारी एक्ट लैण्ड सीलिंग एक्ट और सेटलमेंट एक्ट आदि अनेक एक्ट सरकार ने बनाए हैं। लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता है। केरल में जरूर इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न हुआ है। वहां की सरकार ने वैज्ञानिक ढंग से इस प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूं कि बोन्डड लेबर को कर्ज देने की व्यवस्था की जाये। आज पंजाब में बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार से मजदूर खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। चाहे धान की कटाई का काम हो, गेहूं की खेती का काम हो या अन्य कोई काम हो, सब कामों के लिए खेतीहर मजदूरों की जरूरत पड़ती है। इन लोगों को वहां पर बोन्डड लेबर की भांति रखा जाता है। उनको इस तरह के घर बना कर रखा जाता है कि संध्या होते ही उनको उन में रख दिया जाता है। तो उस में उनको डम्प कर दिया जाता है और बाहर से ताला लगा दिया जाता है। वहां ढोल मजीरा उनको दिया जाता है और वे बजाते रहते हैं। वह उसी में रहते हैं और वे बाहर नहीं निकल सकते हैं। महोदया, बोन्डड लेबर सिस्टम इस समय इस देश में व्यापक रूप से फैला हुआ है। सरकार को इस सिस्टम का उन्मूलन करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। इस में ढिलाई करने की जरूरत नहीं है। हमारे बीस-सूत्री कार्यक्रम का सूत्रपात जो इंदिरा जी ने किया था, उन्होंने बांडेड लेबर को देखकर कहा था कि इस से भयानक अपराध कोई हो नहीं सकता यदि किसी भी देश में इस बांडेड लेबर प्रथा को कायम रखा जाये। कोई सभ्यता अपने को सभ्य नहीं कह सकती जिस में अपनी सम्पत्ति को की मार्किट में बेच न सके, अपने श्रम को मार्केटेबल न बना सके। कोई भी समाज सभ्य नहीं कहा जा सकता जहां मनुष्य डीह्यूमनाइज्ड हो जाता है। इस से उस सभ्यता का नैतिक पतन हो जाता है, उसमें हिम्मत नहीं रह जाती कि वह अपने भावों को कह सके। तो यह सिस्टम जो है यह केवल आर्थिक असर ही नहीं करता है बल्कि यह मनुष्य को डीजेनरेट करने का सिस्टम है। इस लिए इस सिस्टम को खत्म करने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को इस तरह के कम्प्रहेंसिव बिल लाने के लिए धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ जो इस बिल द्वारा इस सिस्टम को हटाने के लिए सख्ती बढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं इसके लिए भी उनका आभार प्रकट करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

SHRI S. W. DHABE: Madam, I have got a point of order. How can the Minister for Parliamentary Affairs wear a badge in the House? That is prohibited for all Members. He can

[Shri S. W. Dhabe]

not be allowed because he is the Minister for Parliamentary Affairs.

उपसभाध्यक्ष [डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी] मट्टू जी आपको बुलाया था आप उपस्थित नहीं थे। आप पांच मिनट ले लीजिये।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Madam, I rise to support this Bill. This is a laudable Bill. I have seen the working of this bonded labour in Jammu and Kashmir State in the Salal project and other projects. There is a migrant labour from Orissa and other places that comes to that place. They are really bonded. I have only one or two suggestions to make to the hon. Minister. In one of these bonded labour camps, I myself saw that money had been advanced under which they had been made contract labour. They were not in the real sense of the word bonded labour: they were contract labour; but they were worse than the bonded labour. I have myself seen that. One labourer told me that at the end of the month, even the rations that he gets from the contractor are through the agent of the contractor himself. He told me that he was getting rice at Rs. 4 per kg., whereas the market rate was only Rs. 2.70 or 2.80 per kg. But the contractor would compel him that he must take the rations from his ration shop. What is really needed is some sort of monitoring agency. Of course the Labour Department is under the State Government, but you should issue guidelines at to how these bonded labourers' condition can be ameliorated. If they are bonded, they have got to be freed. Even in the case of contract labourers, who are worse than the bonded labourers, they should issue guidelines that they should not be coerced, they should not be asked to take the rations from their own ration shops. This thing is very important and this must be taken into consideration. And guidelines must be issued to all the State Governments that they should treat the labourers, even the contract labourers also, in the way the other labourers are treated.

These are my suggestions and I would request the hon. Minister to kindly implement them.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Mr. Vasudeva Panicker.

SHRI K. VASUDEVA PANICKER (Orissa): Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: I would request the hon. Member to take only five minutes.

SHRI K. VASUDEVA PANICKER: I will confine myself to five minutes. I am very happy that this particular Bill has come on this particular solemn day which is the birth-day of the great leader, Smt. Indira Gandhi, who was one of the tallest international leaders of the 20th Century. She was totally anxious about elimination of the system of bonded labour from the surface of India.

If you think that bonded labour is a small institution which can be eradicated from the face of the earth of India by redeeming a few thousands of people from the bondage of the system of bonded labour, in that case, you are totally showing lack of interest towards the bonded labour. Bonded labour is an institution which is a by-product of a major institution, the major institution being the institution which is called the feudal system. If you want to redeem the labour and bring an end to the bonded labour system in this country, then, the main thing should be not only to eradicate the system of bonded labour, to redeem the people under the

bondage but to try to cut the roots of the feudal system that is prevailing still at the end of the 20th century from India. Otherwise, you are not going to put an end, effective end to the system that is known as the bonded labour.

The feudal system is an institution, is a socio-economic institution which has breeded all the evils which are prevailing today in India. The feudal system is a system of land-ownership. It is a socio-economic system, a system which is based on the possession and ownership of land. Almost 80 per cent of the total arable land in the country is in the hands of a few people in this country. Again, out of that, more than half of the total arable land is still in the hands of 20 per cent of the people of the country. It means that a very small number, a meagre number of people of India are controlling the ownership as well as the possession of land in India. And it is these people who are actually controlling, managing and manipulating the system of bonded labour today. If you can finish, if you can bring an end to the system, what is known as the feudal system, if you can finish off that system, you are going to finish off the bonded labour system also. Today the system is bad. It is a totalitarian system which is against democracy. It is a system which is against the well-being of the people, the totality of the people of India. So, the first thing is that we have to fight against the socio-economic evil which is known as the institution of feudal system.

Today, the landlord is the man, landlord is the entity of the institution in India, which is deciding the fate of the majority of the people of this country. If a few number of people who are landlords or *kulaks*, who are termed so, are permitted to continue to decide the fate of the people of this country, then, the majority of the people will be remaining in absolute and total and permanent destitution and permanent bondage created by the feudal system. So, we have to fight against that.

In this connection, our great leader, the late Prime Minister, Smt. Indira Gandhi, with a vision, brought out the great Magna Carta for the poor people. That is known as the 20-Point Programme which is being implemented by the present Government. In that Magna Carta, in that 20-Point Programme, there are two or three important aspects. One aspect is the point which is related to the land legislation, and the second point is related to the eradication of the bonded labour system in the country.

Out of the 20-Point Programme the most revolutionary aspect of the points which are connected with the common people of this country, is the point which is related to the land legislation. If the Government of India as well as the State Governments and all the social institutions and the political organisations in the country are trying unitedly to implement it by building up the popular will of the people of this country, then, we can take away all the lands which are vested in the hands of the very few people whose number you can count on your own fingers. So, out of the 20-Point Programme. Smt. Indira Gandhi said that the land legislation in every State has to be ruthlessly implemented. The State Government has build up governmental institutions; and it should also build up social and political institutions to give boost to the voice of the public at large to raise their voice against the feudal system. They are the worst sufferers under the feudal system. These institutions will cut at the roots of feudal system and redeem the land from the clutches of the rich people in this country. So. Indira Gandhi has visualised the 20-Point Programme for the purpose of destroying the social and economic evils. As long as feudal system continues in this country this bonded labour system

[Shri K. Vasudeva Panicker]

will also continue. To eliminate the bonded labour system, the 20-Point programme has to be implemented with the maximum force at your command which had been enunciated by the great leader Shrimati Indira Gandhi. If you are not going to implement the 20-Point programme especially the point relating to the land legislation which seeks to take over the land from the rich people and redistribute it in small portions to the poor people, they will remain under the bonded labour system. So, my submission before this House is that this House must take into account the imperative need to implement the 20-Point programme enunciated by our great leader of India, Shrimati Indira Gandhi who was totally concerned for the emancipation and redemption of the poor people from destitution and abject poverty of this country. Thank you.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, बंधुग्रा मजदूरों के संबंध में जो ग्रमेंडमेंट ग्राया है मैं उसका समर्थन करता हूं । हमारे बहुत से मित्रों ने इस प्रश्न पर अपनी अलग अलग बातें कहीं हैं हम उन सबकी बातों से सहमत हैं । बंधुग्रा मजदूरों का प्रश्न ऐसा है जैसे देश की ग्राजदी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गयी तो जब महात्मा गांधी ने देश की करोड़ों करोड़ जनता के दिल में ग्राजादी का कानून बना दिया तो ब्रिटिश हुकूमत को उस पर सील लगानी पड़ी ग्रौर मुल्क को ग्राजादी देनी पड़ी, वैसे ही बंधुग्रा मजदूरों की जो समस्या हैं जब तक एक राष्ट्रीय मतैक्य के ग्राधार पर सभी राजनैतिक दल इस बंधुग्रा मजदूरों की प्रथा की समाप्ति के लिए जनजागरण नहीं करते हैं ग्रौर जहां इस तरह के संकट हैं उनके खिलाफ संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम कभी इस संकट को हल नहीं कर सकते हैं । दूसरी बात ग्रभी 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाग्रो या बंधुग्रा मजदूरों को खत्म करो, की दिशा में एक बड़ा कदम है । इसको इम्प्लीमेंट करना है राज्य सरकारों को। मैं पूछना चाहता हूं श्रम मंत्री महोदय ग्रापसे कि कितने कलेक्टर्स ग्रौर कितने एस० एस० पीज के खिलाफ कार्यवाही की गयी है ? जिम्मेदारी होनी चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की कि जहां बंधुग्रा मजदूरों की प्रथा होगी, जहां जुल्म ज्यादती की जायेगी, जिसके द्वारा की जायेगी उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही वे करेंगे ग्रौर यदि वे नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेगी । कितने कलेक्टर्स के खिलाफ कार्यवाही कितने प्रदेशों में की गयी है यह मैं पूछना चाहता हूं या किन जिला ग्रधिकारियों ने ग्रपने-ग्रपने जिलों में जहां बंधुग्रा मजदूर प्रथा थी, उस जुल्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जिन्होंने कि यह काम किया । तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरफ एलर्ट करना है ग्रौर दूसरी तरफ पापूलर विजिलेंस कायम करना है यानी सभी राजनतिक दलों को जो राष्ट्र ग्रौर देश की बात करते हैं उनका यह धर्म है कि वे समाजवादी समाज की स्थापना के लिए माहात्मा गांधी के सपनों का हिंदुस्तान बनाने के लिए बंधुग्रा मजदूरी के खिलाफ एक राष्ट्रीय पैमाने पर युद्ध स्तर पर एक जनजागरण करें, जब तक जनजागरण नहीं होगा तब तक इस प्रथा को कैसे खत्म करेंगे । ग्रादरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो लोग गांव की बात करते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है । दिल्ली राजधानी के ग्रगल-बगल जितनी प्राइवेट फैक्टरियां चल रही हैं इनमें 100 रुपये 200 रुपय पर मिल-मालिक मजदूर को रखते हैं ग्रौर पांच सौ पर दस्तखत करवाते हैं । यह संकट क्यों है ? इसका बुनियादी कारण गरीबी है ।

ग्रादरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं हिंदुस्तान के गांवों की बात करना चाहता हूं । मैं तो गांव में पैदा हुग्रा हूं ग्रौर बचपन में हमने देखा है कि मेरे गांव का जो गोढ़ था, वह उजड़ गया, गांव में जो सुनारी का काम करता था, वह सुनार उजड़ गया, गांव में जो तेल पेरता था तेली, वह गांव से उजड़ गया, गांव में जो

कामकर थे, जो गोढ़ थे, उजड़ गये, जो गांव में मुजाहरे थे, जो खेती वाड़ी का काम करते थे, वह शहरों की तरफ भाग गये। बाढ़ और सूखे के कारण लोग वम्बई, कलकत्ता की तरफ भाग गये और आज वे बंधुआ मजदूर से भी बदतर जिंदगी बिता रहे हैं। कलकत्ता में लाखों लोग ऐसे हैं जो खुद अपने हाथ में गाड़ी लेकर घोड़े की तरह दोड़ते हैं। इन्सान पर इन्सान सवारी ... यही हालत आपके चण्डीगढ़ में, हैदराबाद में है और बंधुआ मजदूर का संकट कहां है ? क्या यह संकट केरल में है ? नहीं।

यह संकट है उत्तर प्रदेश में, यह संकट है बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उड़ीसा में। जो इलाके सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, आर्थिक दृष्टि से बिलकुल पिछड़े हुए हैं, जहा पर कोई आर्थिक विकास नहीं हुआ है, उन्हीं इलाकों में ज्यादातर बंधुआ मजदूर का संकट है। यह सब बंगाल में नहीं है, यह सब केरल में, पंजाब और हरियाणा में नहीं है। यह सब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में है जहां गांव की जिन्दगी बंधुआ मजदूर से भी बदतर हो गई है। क्या भूपतियों की और गांव में रहने वालों की हालत है ?

महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तान की रचना का सपना देखा था कि हिंदुस्तान गांव का देश है, यह देश कृषि प्रधान देश है, हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जोड़ कर हिंदुस्तान में गांव और गांव के साथ गांधीवादी सिद्धांत, यह तीनों को मिला हमें हिंदुस्तान की रचना करनी है, तब हम अपने मुल्क का निर्माण कर पायेंगे। हम यूरोप की नकल करके हिंदुस्तान को नहीं बना सकते, हम यूरोपियन इकानामी या इंडस्ट्रयलाइज्ड मुल्क की इकानामी की नकल करके अपने देश को नहीं बना सकते हैं। हमें हिंदुस्तान में प्रत्यक्ष में, इन दी कन्टैक्स्ट आफ इंडियन सिचुएशन के परिपेक्ष में जो महात्मा गांधी ने सपना देखा था हिन्दुस्तान बनाने का, कृषि पर आधारित खेतों का, देश का, गांव का देश खेती का, गांधीवादी तरीके से बनने ले देश का सपना देखा था, उस आधार पर ही हम बंधुआ मजदूर प्रथा को खत्म कर सकते हैं।

आज के दिन श्रीमती इन्दिरा गांधी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने सन् 1976 में हिन्दुस्तान में 20-सूत्री कार्यक्रम की दिशा को हिंदुस्तान मे लागू किया। दिल्ली के किसी भी हुक्मरान ने दिल्ली के किसी भी प्रधान मंत्री ने वह काम नहीं किया जो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान की करोड़ों-करोड़ सर्वहारा जनता को हिंदुस्तान की मिल्कीयत में हिस्सेदारी के सिद्धांत को केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्वीकार किया था कि हिंदुस्तान की मिल्कीयत में हिंदुस्तान के करोड़ों-करोड़ जो सर्वहारा है, उनके रहने के लिए जमीन और जमीन पर मकान बनाने के लिए दो हजार, तीन हजार रुपया यानी करोड़ों इन्सानों को जो बिना घर के थे, जो हर साल उजाड़े जाते थे, उन करोड़ों-करोड़ इन्सानों को सन् 1976 के बाद रहने के लिए एक गट्ठा जमीन और दो गट्ठे जमीन पर मकान बनाने के लिये तीन-चार हजार रुपया यह पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में तीन हजार वर्ष के अंदर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हिंदुस्तान की करोड़ों-करोड़ जनता के सर्वहारा जनता को हिंदुस्तान की मिल्कीयत में हिस्सेदारी के सिद्धांत को स्वीकार किया था और वह बंधुआ मजदूर को समाप्त करने की दशा में एक भारी कदम था और जो 20-सूत्री कार्यक्रम बनाया वह अच्छा काम है, लेकिन वह बीस-सूत्री कार्यक्रम लागू नहीं हो रहे हैं, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार हो, चाहे हिंदुस्तान के विरोधी दल के लोग जिम्मेदार हों। आज रूरल लैंडलैस इम्पलायमेंट गारंटी स्कीम—जो है, मैं पूछना चाहता हूं—सब मेम्बर आफ पार्लियामेंट यहां मौजूद हैं—क्या रूरल नेशनल प्रोग्राम कान्ट्रैक्ट है कि भाई पांच किलो चावल मिलेगा और दो रुपया मिलेगा। लेकिन ठेकेदार ही उन गांवों की सड़कों का निर्माण करते हैं और उसमें लैडलेस लेबरर का हम इन्वाल्वमेंट नहीं कर पाते। हम रूरल लैंडलैस इम्पलायमेंट गारंटी स्कीम की योजना को लागू नहीं कर पाते क्योंकि हम जाग्रत नही हैं, क्योंकि हमने अपने देश की जनता को

[श्री कल्पनाथ राय]

जाग्रत नहीं किया है, उन कार्यों को बताया नही है हमने अपनी जनता को, देश की जनता को जाग्रत नहीं किया। विरोधी दल के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी-अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्रों में जो वाडेंड लेबर्स के बारे में कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को गांव-गांव मे बतलाने की कृपा करें। हमें सरकारी मशीनरी को भी, सरकार को भी इस मामले में टाइट करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रट को मुअत्तिल किया गया। जब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तो हमें देखना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या-क्या रिसपोंसिबिलिटी निभाई है। अगर किसी कलेक्टर ने बाडेन्ड लेबर के सिस्टम को जारी रखा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की गई या नही यह भी देखना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि स्टेट्स की रिसपांसिबिलिटी के माने क्या हैं? जो जिला के कलेक्टर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी है या जो डिस्ट्रिक्ट के एम० एस० पी० हैं अगर वे, धाधली जो करते है उनके खिलाफ अगर कड़ी कार्यवाही नहीं कर पाते हैं तो राज्य सरकार को कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। यह पालिटिक्ल बिल का सवाल है। यह पालिटिक्ल बिल के आधार पर काम किया जा सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मै श्री टी० अन्जैय्या जो खुद सर्वहारा, जनता के प्रतिनिधि हैं, जिनका दिल मजदूरों के लिए है, देश के जो मजदूर हैं उनके प्रति महान प्यार है, उनसे हमें पूरी आशा है। कानून बना देने से कुछ नहीं होता जब तब कि वह लागू नहीं होता। हमेशा जनशक्ति लोक शक्ति के माध्यम से जो कानून बनता है उसका रूप होता है। कानून बना था कि बाल विवाह बंद होगा, कानून बना था कि दहेज प्रथा खत्म होगी, कानून बना था कि बांडेड लेबर्स खत्म किये जायेंगे लेकिन इन में से कोई पूरा नहीं हुआ। बल्कि और रफ्तार से बढ रहे हैं। जब तक जन-शक्ति, लोक-शक्ति, जन-जागरण की पूरे देश के अंदर एक फिजा नही पैदा करते हैं, एक वातावरण नही बनाते हैं तब तक किसी कानून का कोई फायदा नही हो सकता है। हमारे राष्ट्र के नेताओं ने डायरेक्टिव प्रिसिपल्स आफ द कंस्टीट्यूशन बनाया। 1950 में भारत का संविधान बना था इस में हमारा प्रिएम्बल आफ द कंस्टीट्यूशन है, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ द कंस्टीट्यूशन है। 38 सालों के बाद भी क्या हमने इस प्रिएम्पल आफ द कंस्टीट्यूशन को लागू किया है? क्यों नहीं? इसलिए कि जिस पालिटिकल विल की जरूरत होती है वह पालिटिकल विल नहीं हो पाई। हमें करोड़ो-करोड़ जनता के बीच इस चीज को पैदा करना है। हमें किसी एक के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालनी है। हम यह कहना चाहते है कि 20-सूत्री कार्यक्रम केवल श्रीमती इंदिरा गाधी का कार्यक्रम नहीं है। यह राष्ट्र का कार्यक्रम है। जब तक राष्ट्रीय मतैक्य के आधार पर हम समस्याओं का हल नहीं ढूढते हैं तब तक देश की समस्यायें हल नहीं होंगी। हिन्दुस्तान जो विकासशील देश है, जहा प्रजातंत्र है जब तक यहा पर विरोधी दल और सरकारी दल दोनों मिल कर राष्ट्रीय मतैक्य के आधार पर जनता की समस्याओ को हल की दिशा में कदम नही उठायेगे तब तक प्रजातंत्र की नींव मजबूत नही होगी और न कल्याणकारी योजनायें सफलीभूत ही सकेंगी। पिछले 38 सालो से इस विकासशील देश में प्रजातंत्र कायम है। इस प्रजातंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है कि जो राष्ट्रीय प्रश्न है चाहे बेकारी का प्रश्न हो, चाहे जनसंख्या का प्रश्न हो, वाडेड लेबर का प्रश्न हो, चाहे दहेज प्रथा का प्रश्न हो, बाल विवाह का प्रश्न हो, राष्ट्र के विकास का प्रश्न हो, राष्ट्रीय एकता का प्रश्न हो, चाहे राष्ट्रीय अखडता का प्रश्न हो, इन सारे राष्ट्रीय सवालों पर सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों को मिल कर इनका हल ढूढना चाहिए। हमें विश्वास है यह अमेंडमेंट जो लाया गया है, बिल बनने के बाद श्रम मंत्री जी राज्य सरकारों को और प्रशासन को विशेषरूप से इम्प्लीमेंट करने की दिशा में कदम उठायेंगे और देश के सभी राजनीतिक दलों का

भी यह कर्तव्य है। और देश के सभी राजनीतिक दलों का यह पुनीत कर्तव्य है, यह देखना कि 38 साल के बाद इस देश में बंधुआ मजदूर जैसो प्रथा कायम न रहे। सभी राजनीतिक दलों का यह धर्म है कि जब तक बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक दम में दम नहीं लेंगे। इन शब्दों के साथ हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

श्री सुखदेव प्रसाद (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, इस बिल के संबंध में हमारे बहुत सारे साथियो ने सुझाव दिए हैं। मैं उनको डिटेल में नहीं जाना चाहता। न मैं यह समझता हूं कि बहुत सारी बातों को दोहराने से फायदा है। दुर्भाग्य से मैं उत्तर प्रदेश के उन पूर्वी जिलों से आता हूं जो इस बीमारी से ग्रसित है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और देहात, खास तौर से उड़ीसा और मध्य प्रदेश ऐसे सूबे हैं जो बंधुआ मजदूर की बीमारी से ग्रसित हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं मैं जानता हूं कि किस तरह की बातें होती हैं। यह भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जिस समय जमींदारी प्रथा थी उस समय अपने-अपने हिस्से में गरीबों को, हरिजनों को, आदिवासियों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को बसा कर मजदूरी कराई जाती रही और वह प्रथा अब तक चली आती रही। बहुत सारे स्थानों पर यह प्रथा अब भी है। इसका उन्मूलन होना चाहिए। गांवों में इसका पता लगाना चाहिए, शहरों में इसका पता नहीं लग सकता।

एक बात जो हमारे सामने आई वह यह कि महात्मा गांधी के बाद कोई भी नेता नहीं रहा जो बंधुआ मजदूर या गरीबों की आवाज को उठाता रहा हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को उठाते रहे, उसके बाद किसी ने नही उठाया। मैं साफ तौर से बतला देना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने जो स्वराज की लड़ाई लड़ी और उसको हासिल किया वह अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए थी। उन गरीबों की भलाई के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आवाज उठाई वही आवाज श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उठाई और वही आवाज हमारे युवा नेता राजीव गांधी उठा रहे हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस नये विधेयक के रूप में हमारे सामने आया है। उन्होंने इस विधेयक के दायरे को बढा कर बहुत सारे और लोगों को जोड़ा है जो इस बीमारी से ग्रसित रहे।

मैं इस संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि यह बहुत गड़बड़ है कि जो भी रिहेबिलिटेशन के लिए रुपया दिया जाता है, दूसरे सामान दिए जाते हैं बड़े बड़े अफसर और अधिकारी, छोटे कर्मचारी मिल कर उन गरीबों से कहते हैं कि तुम्हें यह चीजें मुफ्त मिल रही हैं, आधा-आधा बांट लेते हैं। इस से फायदा नहीं हो पाता बोंडेड लेबर का। दूसरी बात यह है कि आपने कर्जा माफ कर दिया और उनको बोंडेड लेबर से छुड़ा दिया। फिर जब उनके रिहेबिलि-टेशन का प्रश्न आता है तो उनको कहीं काम नहीं मिल पाता। यह बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी सूरत में मेरी प्रार्थना है मंत्री जी से कि आपने पाकिस्तान से आए लोगों के लिए इतनी बड़ी स्कीम बनाई उनको रिहेबिलिटेट किया, उनकी नार्मल लाइफ हो सकी। अभी हाल में जो दंगे हुए उन में भी आपने लोगों को अच्छी मदद देकर रिहेबिलिटेट किया। लेकिन ये बेचारे जो सदियों से रिफ्यूजी हैं उनके बारे में क्या कोई ऐसी स्कीम नहीं बन सकती है? मैं समझता हूं कि ऐसी स्कीम आप लायें जिससे ये बेचारे बंधुआ मजदूर जो न जाने कितने साल से रिफ्-यूजी हैं उनको आप रिहेबिलिटेट कर सकें। मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा और साथ ही जो बिल आपका आया है उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इसके स्कोप को वे बढ़ावें जिससे कि आमूल परिवर्तन कर के इन गरीबों को रिहेबिलिटेट किया जा सके। छोटी-मोटी बातों से कोई फायदा नहीं होगा।

श्री अच्छे लाल बाल्मीक (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, इस बिल पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। बंधुआ मजदूरों की समस्या एक बहुत पुरानी समस्या है और यह बंधुआ मजदूरों की जो बीमारी उत्पन्न हुई है उस का कारण क्या है ? उस का मुख्य कारण यह है कि जो निर्धन और गरीब लोग होते थे उन को इतना कम पैसा मिलता था कि वह अपने बाल-बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाते थे और उनको मजबूर होकर धनवान आदमियों से पैसा लेना पड़ता था और उस पैसे को लेने के बाद वे खुद तो उस को अदा ही करते थे, उस के बाद उनके बच्चे और उन के नाती पोते भी उस पैसे को अदा करते थे लेकिन उस के बाद भी वे उस कर्ज से उऋण नहीं हो पाते थे। बंधुआ मजदूरों की हानी यहीं से आरम्भ होती है। इसके साथ-साथ मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बंधुआ मजदूरों में कुछ ऐसे मजदूर भी हैं जो शहरों और गांवों में कूड़े की सफाई करते हैं और पाखाना उठाते हैं और उन को कोई उजरत नहीं दी जाती। उन को उतारा हुआ कपड़ा और जूठी रोटी दी जाती है और एक पैसा भी उन को नहीं दिया जाता और हमारे दो चार बाल्मीक भाइयों ने जहां पर इसके लिये अपनी बात उठाई कि जहां पहले जो नाई दो चार आने में बाल बनाता था आज वह उसके लिए दो, चार रुपये ले रहा है, चाय जहां पहले चार आने की मिलती थी वहां आज वह एक दो रुपया की मिलती है, लेकिन जो कूड़ा उठाने वाला और जो पाखाना साफ करने वाला है, गांवों में उन को आज भी कोई उजरत नहीं मिलती और उन के लिये सरकार की तरफ से भी कोई मजदूरी तय नहीं की गयी है तथा उन को दबा दिया गया। चूंकि वे लोग सफाई का काम करते हैं और चूंकि वे पाखाना कमाते हैं इसलिए वे आवाज उठाते हैं कि उनको भी चार रुपये या दो रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से वेतन दिया जाय तो वहीं पर यह किया जाता है कि उन की खाने पीने की चीजें बंद कर दी जाती हैं और उन के लिये जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उन को देना बन्द कर दिया जाता है और वे लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं और उन को मजबूर हो कर बगैर किसी वेतन के दूसरों की टट्टी और पाखाना साफ करना पड़ता है। मैं इसके साथ-साथ श्रम मंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि नगर पालिकाओं में जो काम करने वाले सफाई मजदूर हैं उन को कितना गंदा खतरनाक और डरावना काम करना पड़ता है कि वे सड़कों के नीचे सीवर में जा कर काम करते हैं और आये दिन समाचार में पढ़ने को मिलता है कि कितनी ही जगह उन की जानें गयी हैं। इतना खतरनाक काम करने के बाद भी जो वेतन उन को मिलना चाहिए वह उन को नहीं मिल पाता है। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि दुनिया के तमाम मजदूरों के लिये श्रम विभाग ने कानून बनाये हैं, लागू किये हैं लेकिन इन सफाई मजदूरों के लिये कोई कानून लागू नहीं किया गया है और न उन को इन का कोई लाभ दिया जा रहा है। यह सफाई मजदूर जो हैं वे भी श्रमिक हैं और उन को इन लेबर लाज का लाभ मिलना चाहिए और यह कानून उन के लिये भी लागू किये जाने चाहिए। नगरपालिकाओं में जो सफाई मजदूर काम करते हैं उन में जहां 7 हजार मजदूरों की जरूरत होती है उन की जगह केवल दो ढाई हजार मजदूर ही रखे जाते हैं और चार-चार आदमियों का काम एक एक आदमी को करना पड़ता है और उस को एक ही आदमी का वेतन दिया जाता है। जब कहीं कोई मेला होता है या कहीं जब कोई सम्माननीय व्यक्ति आने वाला होता है या कोई जलसा होता है या मुंडन संस्कार आदि होता है या शादी होती है तो उस के लिए सफाई मजदूरों को लगा दिया जाता है और उन से सारी बेगार ली जाती है और उन को उस के बदले एक पैसा भी नहीं दिया जाता है। श्रम मंत्री जी जो संशोधन लाये हैं मैं समझता हूं कि हमारे बंधुआ मजदूरों को इससे लाभ मिलेगा और जो सदियों से यह यातनायें सह रहे हैं उनको इस से लाभ मिलेगा इसके साथ ही मैं श्रम मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे सदियों से सताये जा रहे जो यह सफाई मजदूर हैं, जो एक तरह से बंधुआ मजदूर ही हैं, जो आज सारे गांवों और शहरों में पाये जाते हैं उन को भी वे इन श्रमिक कानूनों का लाभ दे और उन को अच्छा वेतन उन के

काम के बदले मिलना चाहिए तभी उनको इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा ।

इसके साथ ही मैं अपने युवा प्रधान मंत्री जी और अपने श्रम मंत्री जी को इस बिल को लाने के लिये बधाई देता हूं ।

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैय्या) : उपसभाध्यक्ष महोदया, काफी लोगों ने बंधुआ मजदूरों के बारे में जो उनके दिलों से जो बातें निकली हैं, मैं उनको अपने दिल से धन्यवाद देता हूं ।

आज यह पुण्य दिन है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्म दिन पर जिन्होंने बांडेड लेबर के अबोलिशन के बारे में 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया और उसमें इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया, आज हम यह विधेयक पास कर रहे हैं । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करने में बहुत पीछे हैं । हमने जो पैसा दिया... **(व्यवधान)** जैसे 6ठें फाइव इयर प्लान मे हमने 25 करोड़ रुपया रखा जिसमें से 10 करोड़ रुपए बच गए यानी खर्च नहीं हुए । हम 10 से 20 मांग सकते हैं, लेकिन जो खर्च नहीं कर सकते हैं तो वह क्या कर सकते हैं ? जिन्होंने इसमें ढील दिखाई उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश । आपने यह देखा होगा कि जिन लोगों ने खर्च किया है और जिन लोगों ने विजिलेंस कमैटीज बनाई है उनमें गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, दिल्ली, अरूणाचल प्रदेश हैं और जो बड़ी स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, बिहार, मेघालय, यू० पी०, केरल, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, इन लोगों ने ऐक्सेप्ट तो किया है, मगर बहुत से डिस्ट्रिक्ट में विजिलेंस कमेटी नहीं बनाई हैं ।

अभी हमारे कल्पनाथ राय जी ने कहा कि इसमें कलैक्टरों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी देनी चाहिए और मैं भी यह सोच रहा था कि हर स्टेट में जब जाऊंगा वहां के चीफ मिनिस्टर से, चीफ सैक्रेटरी से कहकर कलक्टरों की मीटिंग बुला कर इसको कराऊंगा । जब तक कलैक्टर इसमें इंटरैस्ट नहीं लेंगे, इसको इंप्लीमेंट करना नामुमकिन है । इमरजेंसी के दिनों में हालांकि आप लोगों की उसके बारे में अलग राय होगी...

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : इमरजैंसी में हजारों लोगों जेलों में रहे 18 महीने तक । जो गांधीवादी थे, मुझे भी बंद करके रखा गया, जयप्रकाश नारायण जेल में रहे ।

श्री टी० अंजैय्या: आप डिफर कर सकते हैं । हो सकता है आपको तकलीफ हुई हो । लेकिन इमरजेंसी के दिनों में बंधुआ मजदूरों के बारे में जो टारगेट बढ़ा है, उस में गांव गांव में उस समय ड्रम बीटिंग करते थे और कहते थे कि अगर कोई बांडेड लेबर रखता है तो उसको जेल भेजा जाएगा । अब तो यह कहना मुश्किल है । आंध्र प्रदेश में तो विलेज मे एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है । हम बोल ही नहीं सकते । आप भी जानते हैं ।...

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : आपके राज्य में कभी था ही नहीं । तभी तो लोगों ने हमको बैठा दिया । हमारे राज में इलेक्शन हुए, हरिजनों और गिरिजनों को स्थान दिया गया है । हिन्दुस्तान में जिला परिषदों में पहली मर्तबा हरिजनों और गिरिजनों को बैठाया ।

श्री टी० अंजैय्या : आप मेरी बात सुनिये । मैं और आप एक ही कास्ट के है । ये जो बांडेड लेबर काम करते है ये बड़ी कास्ट के लोगों के पास पड़े हुए हैं । इस देश में आप जानते है कि जब तक लैंड रिफार्म्स नही होगा और उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं होगा तो ये जो बांडेड लेबर्स हैं इनका मसला हल करना मुश्किल है । जिस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिस स्टेट में इर्रीगशन नहीं है वहां बांडेड लेबर्स को समस्या को हल करना मुश्किल है । जैसा बिहार स्टेट है वहां काफी मात्रा में रिसोर्सेज हैं । ऐसे बहुत से स्टेट हैं जहां काफी मात्रा में रिसोर्सेज हैं लेकिन फिर भी वहां से मजदूर बाहर जाते हैं । उनके साथ बड़ा एक्सप्लाए-

[श्री टी० अन्जैय्या]

टेशन किया जाता है। यह सब चीजें देखने के बाद में हाउस को बताना चाहता हूं कि मैं इस पर काफी बड़ा सख्त कदम उठाने जा रहा हूं। अगर हाउस का सपोर्ट हो, क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने भी इस बात को कहा। उन्होंने लैंड रिफार्म्स की बात भी कही, बांडेड लेबर के बारे में भी उनका दिल चाहता है कि इसको खत्म किया जाए। वह जानते हैं कि किस-किस स्टेट में बांडेड लेबर्स हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई पालिटिक्स का सवाल नहीं है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जिस तरह सबने आजादी की लड़ाई लड़ी है उसी तरह से इन लोगों को मुक्त कराने के लिये लिबरेशन के लिये इकट्ठे हो कर कोशिश करनी होगी। मैं यह नहीं कहता कि इसमें हम और आप लोगों की राय अलग-अलग है। जिस तरह से इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वे भी जो कैपेटलिस्ट हैं उनके बांडेड लेबर हैं। यह अजीब बांडेड लेबर हैं। पब्लिक सेक्टर वाले भी यह समझते हैं कि अगर परमानेन्ट वर्कर रहेगा तो वह ठीक से काम नहीं करेगा। जो टेम्पोरेरी वर्कर से, कांट्रेक्ट लेबर से फायदा मिल सकता है वह परमानेन्ट लेबर से नहीं मिल सकता। कांट्रेक्ट लेबर कुछ न कुछ मदद कर सकता है। कांट्रेक्ट लेबर वहां रहना चाहिए, ऐसा वह समझते हैं। आप जानते हैं कि हर तरीके से कोशिश की जा रही है। अभी हम चीफ मिनिस्टर से कहेंगे कि वे हर साल बांडेड लेबर को मुक्त कराने के लिए कदम उठायें। पैसा हम देंगे।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : आप यह बताइये कि कितने लाग हैं बांडेड लेबर्स ?

श्री टी० अंजैय्या : आपके हिसाब से 1 लाख 65 हजार हैं और लगभग 40–50 हजार को मुक्त किया गया है। (**व्यवधान**)

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : पूरे देश में ?

श्री टी० अंजैय्या : स्टेट जो देता है उसके हिसाब से कहता हूं। वह हिसाब भी गलत हो सकता है। मैं किसी एक स्टेट के बारे में सोच कर नहीं बोल रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : आप जानते हैं कि पूरे देश में कितने बांडेड लेबर्स हैं ?

श्री टी० अंजैय्या : किसी स्टेट को दिमाग में रख कर नहीं बोल रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री सुशील चन्द मोहन्ता : किस स्टेट में ज्यादा से ज्यादा बांडेड लेबर्स हैं वह यह पूछ रहे हैं ? (**व्यवधान**)

श्री टी० अंजैय्या : मैंने अपनी पहली स्पीच में बताया . . .

श्री सुशील चन्द मोहन्ता : कांग्रेस (आई) रूल्ड सरकारें जहां हैं वहां सबसे ज्यादा बांडेड लेबर्स हैं। बिहार का एक नमूना मैं बता रहा हूं। इसलिए आप खंडन नहीं कर सकते इस बात को।

श्री टी० अंजैय्या . बांडेड लेबर्स न किसी कांग्रेस के होते हैं और न कम्युनिस्ट के होते है। (**व्यवधान**)

श्री सुशील चन्द मोहन्ता : कांग्रेस रूल्ड स्टेट में ज्यादा है ?

श्री टी० अंजैय्या : मैंने बंगाल में देखा कि रिक्शा में बैठकर उसको खींच रहे हैं . . . . (**व्यवधान**) और किसी स्टेट में यह हो सकता है, लेकिन हमारी स्टेट में नहीं है, इतना मैं श्री सत्यनारायण रेड्डी जी को बताना चाहता हूं। वेस्ट बंगाल में हमने देखा कि एक इंसान दूसरे इंसान को खींचता है। यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। इसको दुनिया के लोग देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं हैं। वे धूप में वैसे ही चलते रहते हैं। इतनी गरीबी भी देखने को मिलती है। हर स्टेट की अपनी प्रोब्लम है। केरल में भी कुछ प्रोब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है कि केरल में कोई प्रोब्लम नहीं है। प्रोब्लम्स हर जगह हैं। हम समझते

हैं कि अगर बांडेड लेबर का प्रोबल्म एबोलिश किया जाये तो इस देश में बहुत हद तक गरीबी दूर हो सकती है।

अब यह इम्प्लायमेंट की भी प्रोब्लम है। अनइम्प्लायमेंट की समस्या हमारे देश में है। इसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। अगर बांडेड लेबर को कम तनख्वाह देंगे, बहुत कम तनख्वाह देंगे तो उसकी परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगी ? कम तनख्वाह में वह चीजें कैसे खरीद सकेगा। वह टी० वी०, कपड़ा और शुगर नहीं खरीद सकता है। जहां तक इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, हमारे देश में इलेक्ट्रोनिक इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। अगर मजदूरों के वेजेज, बांडेड लेबर के वेजेज नही बढेंगे तो वे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर लेबर े वेजेज बढ़ने चाहिएं। अगर हम इन कामों के लिए लेबर लीडर के पास जाएंगे तो फिर कलेक्टिव बारगेनिंग चल पड़ेगी, फ्री-स्टाइल कुश्ती होगी। इसलिए गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ करना है। हम चाहते हैं कि हर तीन साल के बाद वेजेज बढ़ने चाहिएं। अगर मजदूरों को ठीक मजदूरी नहीं मिलेगी तो हिन्दुस्तान तरक्की कैसे कर सकता है। सिक मिल के लिए एक बिल इंट्रोडयूस किया गया है। कोई भी मालिक इससे बच नहीं सकता है। जो पैसा उसने बैंकों से लिया है, फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन्स से लिया है, प्रोविडेन्ट फण्ड का पैसा लिया है, उससे वह बच नहीं सकता है। राज्य सभा में भी वह बिल आएगा। हम यह चाहते हैं कि वर्किंग क्लास में भी इंडिसिप्लिन नही होना चाहिए। उनमें मार-पीट नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं कि कई इंडस्ट्रीज में वातावरण अच्छा नहीं है। इसमें हमें सुधार लाना है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सरकारी क्षेत्र में जो बांडेड लेबर हैं, जैसे पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ आफिस में है, उसके लिये आप क्या कर रहे हैं। वहां पर पांच लाख लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ डेढ सौ रुपये मिलते हैं। उनको आप बांडेड लेबर नहीं मानते हैं... (**व्यवधान**)।

श्री टी० अंजैय्या : कर्नाटक में भी कई समस्याएं हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं चाहता हूं कि सरकार को इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष [डा० (**श्रीमती**) **सरोजिनी महिषी**] : आप लोग इस तरह से बीच बीच में कामेंट्स मत करिये।

श्री टी० अंजैय्या : जहां तक हो सके हम चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाय। हम चाहते हैं कि तमाम चीफ मिनिस्टर्स और लेबर मिनिस्टर्स को इस बारे में लिख कर उनसे पूछेंगे कि वे हमें हर छः महीने में रिपोर्ट दें ताकि हम हाउस के सामने बता सकें कि कितने बांडेड लेबर का रिहेबिलिटेशन किया गया है। अभी रिहेबिलिटेशन के लिए दो हजार हम देते हैं और दो हजार वे देते है। इस तरह से ये चार हजार हो जाते है। लेकिन आप जानते है कि चार हजार से रिहेबिलिटेशन नहीं होता है। बैंकों से भी पैसा ले सकते हैं इसको आठ गुना किया जाएगा और यह चालीस हजार हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन से भी हम ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। गवर्नमेंट की एजेन्सी इस बारे में सोच रही है। हम चाहते हैं कि इस बारे में काम होना चाहिए, काम करना चाहिए। मगर जहां से हमको इन्फार्मेशन मिली, राजस्थान से हमको इन्फार्मेशन मिली, आंध्र से इन्फार्मेशन मिली, कहीं से कांफिडेंशियल इन्फार्मेशन मिलती है, अपोजीशन वाले भी लाकर देते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। हम एकदम वहां के कलेक्टर को बुला रहे हैं और वहां उनका रीहेबलटेशन कर रहे हैं। जितना करना चाहिए, उतना कर रहे हैं। हम इसमें सख्त से सख्त अमेंडमेंट लाये हैं और आगे इसके लिये इम्प्रजनमेंट की व्यवस्था लाने की कोशिश करेंगे। वह हम सोच रहे हैं। अगर सख्ती नहीं होगी तो यह काम अच्छी तरह नही होगा। आइन्दा इस बिल में और अमेंडमेंट करेंगे जिससे कि बांडेड लेबर रखने वाले को कड़ से कड़ी सजा मिले। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह जो मसला है यह किसी पार्टी का मसला नहीं है बल्कि पार्टी से हटकर सारे देश का मसला है। आप लोग अपने स्टेट में कि किस स्टेट में कितना है और किस स्टेट में कितना नहीं है इस मसले पर मत जाईये। हमारे सामने मसला एक हीहै

[श्री टी० अजैय्या]

कि इसको कैसे दूर किया जाय । श्रीमती इंदिरा गांधी ने कई मर्तबा कहा था कि वह बांडेड लेबर प्रथा जो है यह हमारे लिये एक कलंक है और इसको अबोलिश करना चाहिए इसलिय मैं चाहता हूं कि आज उनके जन्म दिवस के मौके पर यह जो अमेंडमेंट लाया गया है इसको पास किया जाय । मुझे उम्मीद है कि यह जो हमने आपके सामने अमेंडमेंट पेश किया है उसको ज्वाइंट सलैक्ट कमैटी में ले जाने की जरूरत नहीं है । हमको क्या करना है वह हम अच्छी तरह जानते है और हमको क्या नहीं करना है यह भी अच्छी तरह से जानते हैं और किसको किस ठिकाने लगाना है वह भी जानते हैं । आगे मैं हर एक चीफ मिनिस्टर से साफ कहूंगा कि आपके स्टेट में यह हो रहा है, खुल्लम खुला और मैं उनको यह बता दूंगा कि यह ठीक बात नहीं है । इसलिये इसको ज्वाइंट सलेक्ट कमैटी में ले जाने की जरूरत नहीं है । मैं यादव जी से प्रार्थना करूंगा वे सलैक्ट कमैटी में ले जाने के प्रस्ताव को वापस लें और इस बिल को सदन पास करे ।

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: There is an amendment moved by Shri Jagdambi Prasad Yadav for reference of the Bill to the Joint Committee. Would you like to withdraw it, Mr. Yadav.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : वापस लेता, लेकिन सरकारी क्षेत्र में भी बंधुआ मजदूर पड़े हुए हैं । इसलिये यह जो डेफीनेशन है यह ठीक नहीं है । इसकी डेफीनेशन जब तक सिलेक्ट कमेटी में ठीक नहीं होगी तब तक कैसे सुधार होगा ?

श्री टी० अंजैया : यादव जी, मैं और आप बैठकर बात करेंगे । सरकारी लोगों के लिये मैं जल्दी कर सकता हूं । इसलिये इसकी आप चिन्ता मत कीजिये । जो कान्ट्रेक्ट लेबर और टैम्परेरी लेबर जो हैं उन‌की डेफीनेशन के लिये मैं आफिसरों को बुलाउंगा और उनको अपने पास बुलाकर उसको करूंगा ।

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Has he the leave of the House to withdraw his amendment? The amendment is withdrawn with the consent of the House.

Now, I put the motion to vote.

The question is:

"That the Bill to amend the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill

THE VICE-CHAIRMAN [DR (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Clause 1. There is one amendment by the Minister.

Clause 1—Short title

SHRI T. ANJAIAH: I beg to move:

"That at page 1, line 4, *for* the figure '1984' the figure '1985' be substituted."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Now, the Enacting Formula. There is one amendment by the Minister.

Enacting Formula

SHRI T. ANJAIAH: I beg to move:

"That at page 1, line 1 *for* the word 'Thirty-fifth', the word 'Thirty-sixth' be *substituted.*"

The question was put and the motion was adopted.

5 P. M.

Enacting Formula; as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI T. ANJAIAH: Madam, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE EMPLOYMENT OF CHILDREN (AMENDMENT) BILL, 1985

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJAIAH): Madam, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Employment of Children Act, 1938, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Madam, the Employment of Children Act, 1938, prohibits children from being engaged in certain specified occupations considered hazardous. However, it has been observed that in case where prosecutions have been launched and convictions obtained, the punishment has been usually very light.

We have, therefore, considered it necessary to amend section 4 of the Employment of Children Act to enhance the penalty.

The existing penalty provides simple imprisonment up to one month or fine which may extend up to five hundred rupees or both.

This is proposed to be enhanced for the first offence to simple imprisonment which shall not be less than three months and may extend up to one year or with fine which shall not be less than five hundred rupees but may extend to two thousand rupees or with both.

A minimum penalty has been provided so that inordinately light sentences are not given. The imprisonment for second and subsequent offences shall be for a term not less than six months and may extend to two years. The Court can, however, for special and adequate reasons, to be recorded in writing impose a sentence of less than six months. We believe that this will go a long way in discouraging employers from violating the provisions of the Act.

I would request that the Bill, as passed by the Lok Sabha, be taken up for consideration and passed.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: We shall continue the discussion tomorrow.

STATEMENT BY MINISTER

Re. issue of Railway passes to freedom-fighters

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. A. SANGMA): Madam Vice-Chairman, It may be recalled that the late Prime Minister Smt. Indira Gandhi, had stated in the Lok Sabha that the freedom-fighters could have one railway pass in their life time, so that they could see various places in India. The matter had been under consideration The scheme for the grant of free railway passes to the freedom fighters has now been finalised.

Under the scheme First Class Complimentary Cheque Passes will be issued to the freedom-fighters who are drawing pension from the Central Revenues under the Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme. It will